इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :82/प्र0अ0–भवन/जोन–2/2013–14 दिनांक 27/03/2014

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर **होम्योपैथी स्वास्थ्य केन्द्र** मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

डा0 एस.एम. सिंह, निदेशक, साईनाथ पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ होम्योपैथी **एण्ड रिसर्च सेन्टर द्वारा भूमिधरी आराजी संख्या–13अ, 13स, 12अ, 12, 12बी, मौजा–मुहीद्दीनपुर भरेठा** परगना व तहसील–सदर, जिला **इलाहाबाद** जोन संख्या (2) के अन्तर्गत **होम्योपैथी स्वास्थ्य केन्द्र मानचित्र** की स्वीकृति/निर्गमन उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 20.03.2014 के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी **विवरण** अंकित किया जायेगा।
5. आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण करना होगा, यदि आन्तरिक विकास व्यय मे **कोई बढ़ोत्तरी होती है तो** उसका वहन निर्माण/विकासकर्ता को करना होगा।
6. सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना आवश्यक रूप से की जायेगी।
7. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा, तत्पश्चात् ही एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
8. स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 इलाहाबाद क्षेत्र, इलाहाबाद की अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
9. निर्मित भवन का होम्योपैथी स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में ही अधिभोग/उपयोग किया जायेगा, इतर उपयोग पाये जाने पर मानचित्र की स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
10. **मुख्य चिकित्साधिकारी–कौशाम्बी** की अनापत्ति पत्र संख्या मु0चि0अ0/होम्योपैथी कालेज/स्वास्थ्य केन्द्र/2013–14/999 दिनांक 14.03.2014 **(छायाप्रति संलग्न)** में अंकित प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
11. **मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इलाहाबाद** की अनापत्ति पत्र संख्या–2013/इला0/228/सि0ला0/109 दिनांक 11.12.2013 **(छायाप्रति संलग्न)** में अंकित प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

Continued

Received
27/3/2014

12. आयकर आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद द्वारा जारी आयकर अधिनियम 1961 की धारा–80G (5) दिनांक 20.09.2006 जारी किया गया है, जिसमें वैधता की तिथि दिनांक 11.02.2006 से दिनांक 30.09.2009 तक है। उक्त के क्रम में संस्था के डायरेक्टर द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन 13.01.2014 एवं तत्क्रम में दिये गये शपथ पत्र दिनांक 07.03.2014 में स्पष्ट किया गया है कि "आयकर अधिनियम 29(4), 20 (5) के अन्तर्गत यह निर्दिष्ट किया गया है कि जिन मामलों में धारा–80G के प्रमाण–पत्र पूर्व में जारी किये गये हैं एवं जिनकी वैधता तिथि दिनांक 01.10.2009 तक थी, उसके बाद समाप्त हो रही है, ऐसे मामलों में छूट की निरन्तरता बनी रहेगी" को दृष्टिगत रखते हुए मानचित्र स्वीकृत/निर्गत किया जा रहा है।

13. साईनाथ पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीच्यूट आफ होम्योपैथी रिसर्च सेन्टर जहाँगीर मेमोरियल चैरिटेबुल हॉस्पिटल सोसायटी इलाहाबाद द्वारा संचालित है, संस्था द्वारा चैरिटेबुल गतिविधियां सदैव गतिमान रखी जायेंगी, इस सम्बन्ध में साईनाथ पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीच्यूट आफ होम्योपैथी एवं रिसर्च सेन्टर के डायरेक्टर द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 07.03.2013 का विचलन पाये जाने पर मानचित्र की स्वीकृति हेतु शुल्कों में दी गयी छूट पुनरीक्षित हो जायेंगे एवं अन्तर धनराशि आपको जमा करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

14. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी।

15. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन बाध्यकारी होगा।

16. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

17. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत करवाकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाए, में कर देगा।

18. यह स्वीकृत नक्शा केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।

19. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

20. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव एवं छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

21. यदि निर्माण में मानक स्थान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

27/5/2014

(सुधाकेश शर्मा)
संयुक्त सचिव/प्र0अ0 भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

THIS IS TO CERTIFIED THAT THE MAP IS ACCORDING TO BY LAWS (BHAWAN UPVIDHI 2012) AND NORMS OF A.D.A. MAHA YOJANA 2021

DOOR WINDOW SCHEDULE		
DOOR	D	1250x2350
	D2	1000x2550
	D3	900x2550
	D4	750x2400
WINDOW	W6	1800x1650
	W4	1200x1650
	W3	1000x1650
VINT	V1	900x900
	V2	1800x750

OWNER'S NAME :-

DR. S.M. SINGH

SRI. SAINATH CHARITABLE HEALTH CENTRE
ALLAHABAD BUILDING AT VILLAGE MOHIUDDENPUR,
BHARETHA, PARGANA & TAHSIL, SADER, ALLAHABAD.

ARAZI

1- SALE DEED ARAZI NO. 9 AREA 0.0800 HECTARES 800.00 SQ.MT.
2- SALE DEED ARAZI NO. 12 & 13 AREA 1.3940 HECTARES 13940.00 SQ.MT.
TOTAL ARAZI NO. 9,12 & 13 AREA = 1.474 HECTARES 14740.00 SQ.MT.

AREA SCHEDULE IN SQMT.		
		COVERED AREA
01	TOTAL AREA OF PLOT	13940.00 sqmt.
02	COVD. ON GROUND FLOOR PLAN	1202.76 SQ.MT.
03	COVD. ON FIRST FLOOR PLAN	1202.34 SQ.MT.
04	MUMTY AREA	97.75 sqmt.
05	OPEN AREA	13637.81 sqmt.

SIG. OWNER

SIG. ENGR.

DATE	REV. 26-03-2014
SCALE	1:100
DRAWN BY	Chandra Deep

TRIPATHI BUILDER'S
&
BUILDING CONSULTANT